रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 1984/चैत्र 8, 1906
No. 139] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 1984/CHAITRA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1984

का.आ. 215(अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 529(अ), तारीख 22 जुलाई, 1983 के अनुसरण में तारीख 1 अप्रैल, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के उपबन्ध, सिक्किम राज्य में, इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए प्रवृत्त होंगे कि उस अधिनियम की धारा 72 में "देशी भाषा" शब्दों का जहां-जहां वे उसमें आते हैं, लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 2/9/80-सी एल-5]

एस. एम. दुगर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1984

S.O. 215(E).—In pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 529(E) dated the 22nd July, 1983, the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1984 as the date on which the provisions of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) shall come into force in the State of Sikkim, subject to the modification that the word "vernacular" in section 72 thereof, wherever it occurs therein, shall be omitted.

[File No. 2/9/80-CL. V.]

S. M. DUGAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984